# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

**पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :- डिक्री 151 सन् 2022**

**पंजीयन दिनांक :- 09.11.2022**

1. विरेन्द्रसिंह पिता भैरूलाल आंजना निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ
2. ओमकुवर पत्नी भैरूलाल आंजना निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ
3. सरीता पिता भैरूलाल पत्नी संजय आंजना निवासी छोटीसादड़ी हाल बसाड तहसील एवं जिला प्रतापगढ
4. इन्दुबाला पिता भैरूलाल पत्नी विक्रम सिंह आंजना निवासी छोटीसादडी हाल निवासी किटखेड़ी तहसील आलोट जिला रतलाम मध्यप्रदेश
5. चन्दाबाई पत्नी मनोहरसिंह आंजना निवासी निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ
6. किरण पिता मनोहरसिंह पत्नी अभिमन्युसिंह आंजना निवासी बोरखेड़ी तहसील महु जिला इन्दौर मध्यप्रदेश
7. पुजा पिता मनोहरसिंह पत्नी राहुल आंजना निवासी पारलियाकलां जिला उज्जैन
8. यशवीर उर्फ सुधान्शु पिता मनोहरसिंह आंजना अवयस्क जरिये संरक्षक माता चंदाबाई आंजना निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ

-अपीलांट

**विरुद्ध**

1. कमलाबाई पिता उंकारलाल पत्नी पृथ्वीराज आंजना निवासी बसेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
2. सज्जनबाई पिता उंकारलाल पत्नी उंकारलाल आंजना निवासी बसेडा हाल नरसाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
3. देवीलाल पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
4. शिवशंकर पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
5. पर्वतसिंह पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
6. जगदीशचन्द्र पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
7. गोरीलाल पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
8. प्रेमबाई पुत्री रूकमणबाई/जसराज आंजना पत्नी मोहनलाल आंजना निवासी अचलपुरा हाल मुकाम केसुन्दा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

9. चन्द्रकलां पुत्री रूकमणबाई/जसराज आंजना पत्नी जसराज आंजना निवासी अचलपुरा हाल मुकाम रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
10. जशोदा बाई पुत्री रूकमणबाई/जसराज आंजना पत्नी अमृतलाल आंजना निवासी अचलपुरा हाल मुकाम मरजीवी तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
11. रामकुंवर पुत्री रूकमणबाई/जसराज आंजना पत्नी अमृतलाल निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी
प्रकरण संख्या 10/2014 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2022

वक्त बहस उपस्थित- 1. राम प्रसाद जणवा- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 10
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 9 व 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 12

**निर्णय** **दिनांक :- 22.06.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 12 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छोटीसादडी के वर्तमान खसरा नम्बर 459, 1605 से 1609, 1707, 1720, 1811, 1833, 1870/2357 व 1872 कुल किता 12 कुल रकबा 8.89 हैक्टेयर, मौजा थानपुर के वर्तमान खसरा नम्बर 437, 448, 449 कुल किता 3 कुल रकबा 61.89 हैक्टेयर, ग्राम बरवाडा गुर्जर के वर्तमान खसरा नम्बर 206, 209, 211, 212 व 215 कुल किता 5 कुल रकबा 6.75 हैक्टेयर व ग्राम राजूखेडा के वर्तमान खसरा नम्बर 133, 216/547, 217, 354, 361 व 522 कुल किता 6 कुल रकबा 6.26 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त कुलिया आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया का मृतक उंकारलाल के बनने वाले हक में 1/4 हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 10 से 18 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा है, अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है, रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 9 का 1/4 हक हिस्सा निहित है। उपरोक्तानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया एवं अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 12 प्रतिवादीगण के 1/4-1/4 हिस्से की घोषणा करवाई जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया के हक हिस्से में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करे न करवावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया की ओर से प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए दिनांक 06.10.2022 को वाद प्रमाणित होना मानते हुए वाद वादी डिक्री किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को विरासत से प्राप्त हक हिस्से में से 1/4 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया को संयुक्त खातेदार घोषित किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीया व प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 9 व 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे एवं रेस्पोडेन्ट सं. 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकियात कायम नही की गई। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु खातेदार उंकारलाल की मृत्यु बाबत है। जबकि इस बिन्दु पर कोई तनकी कायम नही की गई। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 ने अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम पेश किया जिसके आधार पर तनकी बननी चाहिए थी जो नही बनाई गई। वकील की गलती से पक्षकार को हानि नही होनी चाहिए। तनकी संख्या 3 अपीलांटगण के जिम्मे थी जो प्रतिवादी संख्या 8 अपीलांट के काउण्टर क्लेम से बनी और इनका काउण्टर क्लेम साक्ष्य वादी बन्द होने पर पेश हुआ। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 को साक्ष्य पेश करने का एक भी अवसर नही दिया गया। तनकी संख्या 3 बाबत सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था जो नही दिया गया। इस प्रकार सुनवाई का अवसर नही मिलने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त से परे होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 10 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए वाद वादी डिक्री किया गया। दिनांक 19.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट के बयान दर्ज किये गये। वकील प्रतिवादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य हेतु अवसर चाहा। दिनांक 09.09.2022 को शहादत प्रतिवादी में यशवीर का शपथ-पत्र पेश हुआ। इस प्रकार सुनवाई का पूरा मौका दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8 यशवीर नाबालिग था। अन्तिम स्टेज पर जवाब प्रस्तुत किया वह शपथ-पत्र पेश कर साक्ष्य में आना चाहता था जिसे अवसर दिया गया। आगे वह अनुपस्थित रहा जिससे साक्ष्य बंद किया गया तथा इनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर भी करवाये गये। अन्य कोई भी प्रतिवादी साक्ष्य के लिये नही आये। अन्त में प्रस्तुत अपील सारहीन होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया ने खातेदारी घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छोटीसादडी, बरवाडा गुर्जर, थानपुर एवं राजूखेडा में स्थित वादग्रस्त कृषि आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया के पिता उंकारलाल पिता केशुराम का खातेदारी हक से हिस्सा निहित था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया के पिता उंकारलाल व माता मेहताब बाई का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक खातेदार उंकारलाल के चार पुत्रियां क्रमशः कमलाबाई, सज्जनबाई, रूकमणबाई एवं कंचनबाई तथा दो पुत्र क्रमशः मोहनलाल व भैरूलाल है। इनमें से एक पुत्र मोहनलाल अपने पिता के जीवनकाल में ही अन्यत्र गोद चले गये जिससे इनका वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही रहा एवं एक पुत्री कंचनबाई लाओलाद फौत हो गई। इस प्रकार मृतक खातेदार उंकारलाल की संपति के चार वैध उतराधिकारी होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया का अपने पिता की संपति में 1/4 हक हिस्सा निहित है। गत भू-प्रबन्ध की नकल जमाबंदी ग्राम छोटीसादडी संवत 2030 से 2033, ग्राम थानपुर व राजूखेडा की नकल जमाबंदी संवत 2028 से 2031 एवं ग्राम बरवाडा गुर्जर की नकल जमाबंदी संवत 2021 से 2024 तक में खातेदार उंकारलाल का नाम दर्ज रहा। नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान मृतक खातेदार उंकारलाल का पूरा हिस्सा उनके पुत्र भैरूलाल ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जो वर्तमान में अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज रेकार्ड है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया का वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हक हिस्सा निहित था किन्तु वादीया को हिस्से से वंचित रखा गया। अपीलांट संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया को शादीशुदा होना एवं मृतक खातेदार उंकारलाल के चार पुत्रियां होना स्वीकार किया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया मृतक खातेदार उंकारलाल की पुत्री होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम करते हुए साक्ष्य सबूत लेकर विधिवत निर्णय पारित किया है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो एवं अपनी बहस में निवदेन किया गया कि तनकियात सही कायम नही की गई तथा आवश्यक तनकी नही बनाई गई। विचारण न्यायालय में अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने तनकी पर कोई आपति पेश नही की जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट्गण को तनकियात पर कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उजर ऐतराज नही था। इस न्यायालय में तनकियात पर आपति के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो उपर्युक्त विवेचन से सारहीन हो जाती है। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया के उतराधिकार को चुनौती नही दी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 10 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय, 2020(3)डी.एन.जे. (सुप्रीम कोर्ट) 817 अनुसार "हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956-धारा 6(09.09. 2005 पर संशोधन किया गया) -सहदायी संपति में पुत्री के अधिकार-संशोधन क्या भूतलक्षी है या नही- दो निर्णयों के बीच विरोधाभासी मत- रेफरेंस-पुत्र की तरह पुत्री भी सहदायी है चाहे संशोधन के पूर्व जन्मी हो या बाद में और समान अधिकार और दायित्व रखती है-पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित संपति में अधिकार का दावा कर सकती है- 09.09.2005 को पिता जीवित होना चाहिए आवश्यक नही है क्योंकि सहदायिकी मे अधिकार जन्म से है- विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद भी पुत्र के समान पुत्रिया भी बराबर हिस्से की हकदार है- मौखिक विभाजन का अभिवाक स्वीकार नही किया जा सकता क्योकि विभाजन रजिस्टर्ड विभाजन विलेख द्वारा अथवा न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावी होता है - निर्णित, पुत्रियों को धारा 6 के अन्तर्गत उनको प्रदत समानता के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता और 09.09.2005 से अधिकार का दावा कर सकती है।" इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादीया को वाद लाने का पूर्ण अधिकार था और वादीया के वाद को प्रमाणित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया के अधिकार अनुसार उसका 1/4 हक हिस्सा घोषित करते हुए पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुकूल है। उक्त समस्त विवेचन से अपील सारहीन साबित होकर निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2022 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावें।

22/06/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

## अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 151/2022/डिक्री पंजीयन दिनांक 09.11.2022

1. विरेन्द्रसिंह पिता भैरूलाल आंजना निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ
2. ओमकुवर पत्नी भैरूलाल आंजना निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ
3. सरीता पिता भैरूलाल पत्नी संजय आंजना निवासी छोटीसादड़ी हाल बसाड तहसील एवं जिला प्रतापगढ
4. इन्दुबाला पिता भैरूलाल पत्नी विक्रम सिंह आंजना निवासी छोटीसादडी हाल निवासी किटखेड़ी तहसील आलोट जिला रतलाम मध्यप्रदेश
5. चन्दाबाई पत्नी मनोहरसिंह आंजना निवासी निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ
6. किरण पिता मनोहरसिंह पत्नी अभिमन्युसिंह आंजना निवासी बोरखेड़ी तहसील महु जिला इन्दौर मध्यप्रदेश
7. पुजा पिता मनोहरसिंह पत्नी राहुल आंजना निवासी पारलियाकलां जिला उज्जैन
8. यशवीर उर्फ सुधान्शु पिता मनोहरसिंह आंजना अवयस्क जरिये संरक्षक माता चंदाबाई आंजना निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ

**-अपीलान्ट**

**बनाम**

1. कमलाबाई पिता उंकारलाल पत्नी पृथ्वीराज आंजना निवासी बसेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
2. सज्जनबाई पिता उंकारलाल पत्नी उंकारलाल आंजना निवासी बसेडा हाल नरसाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
3. देवीलाल पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
4. शिवशंकर पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
5. पर्वतसिंह पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
6. जगदीशचन्द्र पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
7. गोरीलाल पुत्र रूकमणबाई/जसराज आंजना निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
8. प्रेमबाई पुत्री रूकमणबाई/जसराज आंजना पत्नी मोहनलाल आंजना निवासी अचलपुरा हाल मुकाम केसुन्दा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
9. चन्द्रकलां पुत्री रूकमणबाई/जसराज आंजना पत्नी जसराज आंजना निवासी अचलपुरा हाल मुकाम रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
10. जशोदा बाई पुत्री रूकमणबाई/जसराज आंजना पत्नी अमृतलाल आंजना निवासी अचलपुरा हाल मुकाम मरजीवी तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
11. रामकुंवर पुत्री रूकमणबाई/जसराज आंजना पत्नी अमृतलाल निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

**-रेस्पोडेन्टस**

विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी प्रकरण संख्या 10/2014 निर्णय व डिकी दिनांक 06.10.2022 अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 22.06.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रसाद जणवा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 10 की ओर से अधिवक्ता चन्दनमल जणवा, रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2022 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है, —........................ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे —........................ द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक **22.06.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

22/06/23

([illegible] श्री मालवीय)

राजस्व अपील प्राधिकारी,

चित्तौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)